

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

9/5/24

पत्रावली पेश हुयी वकील उमय पक्ष अन्तु
वादी का बंद आर्डर 3 नियम 3 पर के
तथा खारिज किया जाता है न्यायालय अंग
बार-बार आवाज लगवाने पर भी हर्जि
नही आये है अतः पत्रावली आर्डर 3 नियम
3 के तथा अदम-हाजरी व अदम पेशी
में एवद्वारा खारिज की जाती है
पत्रावली फैसल सुमाए होकर बाद न्यायालय
दखिल हुवा है आदेश एवले न्यायालय
में पुनामा गया

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

